न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राजस्थान)

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः— **14 / 2017** अपील (भू राजस्व)

श्री हरिसिंह पिता श्री गोवर्धनसिंह राव, निवासी आसोलियों की मादड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर

.....**अपीलान्ट**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर

.....**रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार मावली, प्रकरण संख्या 618 / 2017 विविध (नाजायज कब्जा)
आदेश दिनांक 08.02.17

उपस्थितः 1. श्री तुलसीराम डांगी, अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः— .....

अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मावली के प्रकरण सं. 618 / 2017 विविध (नाजायज कब्जा) निर्णय दिनांक 08.02.2017 से दुखी होकर अपील प्रस्तुत की है।

अपनी अपील में अपीलार्थी द्वारा यह निवेदन किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03.02.17 को अपीलान्ट को न्यायालय में उपस्थित होने बाबत धारा 91 का नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.02.17 को उपस्थित हुआ। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने, बिना सुनवाई का अवसर दिये तथा बिना साक्ष्य सबुत एवं जवाब पेश करने का अवसर दिये विधि के उपबन्धित प्रावधानो के विपरीत जाकर अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित करते हुए कथित निर्णय पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने कथित निर्णय केवल मात्र हल्का पटवारी की एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर पारित किया है जबकि हल्का पटवारी ने मौके की रिपोर्ट विधि अनुसार भूमि का बिना

सीमांकन किये ही अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की है जिसकी कानुनी कोई वैधानिकता नहीं हैं। वास्तविकता यह है कि अपीलान्ट अपने खातेदारी की आराजी संख्या 122 रकबा 4 बिघा 8 बिस्वा भूमि की सुरक्षा हेतु बाउण्ड्रीवाल बनवा रहा था तथा अपीलान्ट द्वारा अपने खातेदारी की जितनी भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है उतनी भूमि पर बाउण्ड्रीवाल बनवाई जा रही थी लेकिन पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय ने अतिक्रमी मानने में विधि की भारी भूल की हैं। अपने निर्णय में अधिनस्थ न्यायालय ने यह अंकित किया है कि विपक्षी/अपीलान्ट को पर्याप्त साक्ष्य सबुत पेश करने का अवसर दिया गया जबकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय ने जिस तारीख पेशी को अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायाल में उपस्थित होने हेतु नोटिस दिया गया उसी तारीख पेशी दिनांक 08.02.17 को कथित निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्ट ने आराजी संख्या 517 के किसी भी हिस्से या भू भाग पर अतिक्रमण नहीं किया है तथा अपीलान्ट अपने खातेदारी की आराजी संख्या 122 में जितना रकबा राजस्व अभिलेख में अंकित है उतने ही रकबे पर बाउण्ड्रीवाल बनवा रहा हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावें तथा प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय को रिमांड फरमाया जावे।

अपनी अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 5 सपठित धारा 151 सीपीसी वास्ते स्थगन को भी प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली हैं।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने, बिना सुनवाई का अवसर दिये तथा बिना साक्ष्य सबुत एवं जवाब पेश करने का अवसर दिये निर्णय पारित किया हैं। अपीलान्ट अपने खातेदारी की आराजी संख्या 122 रकबा 4 बिघा 8 बिस्वा भूमि की

सुरक्षा हेतु बाउण्ड्रीवाल बनवा रहा था तथा अपीलान्ट द्वारा अपने खातेदारी की जितनी भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है उतनी भूमि पर बाउण्ड्रीवाल बनवाई जा रही थी लेकिन पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय ने अतिक्रमी मानकर बेदखली के आदेश दे दिये गये है जो असंवैधानिक होकर अपीलान्ट को नुकसान पहॅूचाने की नियत से कथित निर्णय पारित कर दिया गया जिसे अधिनस्थ न्यायालय को कानुनन अधिकारी नहीं हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय में रास्ते की भूमि बता रखी है जबकि मौके पर रास्ता पूर्व का यथावत विद्यमान हैं। पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई है वह अपीलान्ट की अनुपस्थिति में तैयार की गई है। अधिनस्थ न्यायालय को चाहिये कि अब भी किसी अन्य से अपीलान्ट की उपस्थिति में मौके की नपती करायी जावें। ताकि वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो सके। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावें।

विद्ववान पैरोकार सरकार द्वारा अपीलान्ट के कथनो का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का बोयणा की रिपोर्ट के आधार पर विधिवत अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 का नोटिस जारी किया गया। जिसकी बाद तामिल ही आदेश पारित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 08.02.17 में अपीलार्थी के हस्ताक्षर भी मौजुद हैं। अपीलार्थी का यह कथन मान्य नहीं है कि उसकी अनुपस्थिति में उसे बिना सुने एवं बिना साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का अवसर दिये आदेश पारित कर दिया गया। पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया है कि आराजी संख्या 517 रकबा 12.12 बिघा किस्म रास्ता बिलानाम भूमि में अपीलार्थी द्वारा 0.10 बिघा भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर बाउण्ड्रीवाल बनवाई जा रही हैं। मौके पर कार्य रोके जाने हेतु तत्काल यह रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की जिसपर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही कर अतिक्रमी के विरूद्ध बेदखली के आदेश पारित किये गये है जिसका क्षेत्राधिकार अधिनस्थ न्यायालय को हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी खारीज फरमायी जावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर बाउण्ड्रीवाल बनवायी जा रही थी। जिसे पटवारी हल्का भुवाणा द्वारा मौके पर कार्य को रूकवाकर विधिवत रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नियमों प्रदत्त शक्तियों का विधिवत उपयोग करते हुए अपीलार्थी को नोटिस सर्व कर अपीलार्थी का कोई संतोषप्रद जवाब या कोई साक्ष्य सबुत प्रस्तुत नहीं किये जाने पर पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी को अतिक्रमी मानकर रास्ते की भूमि पर किये जा रहे बाउण्ड्रीवाल के निर्माण पर बेदखली के आदेश पारित किये गये है जो नियमानुसार हैं।

अपीलार्थी द्वारा बिलानाम रास्ते की भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण किया जा रहा हैं। जिसका निर्माण किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की गुंजाईश नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मावली के प्रकरण संख्या 618/17 आदेश दिनांक 08.02.17 को बहाल रखा जाकर अपील अपीलार्थी खारीज की जाती हैं।

निर्णय की प्रति मय तलबिदा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर